



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

फैक्स/मेल



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 72 / 04(01)कैम्प-प्र0अ0-ए0सी0आर0 / 2017
सेवा में,

देहरादून, दिनांक 24 मई, 2017

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर- I/II,
(सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
(सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :- कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व डी निर्दिष्ट है कि समस्त श्रेणी के कार्मिकों (राजपत्रित/अराजपत्रित) की वार्षिक गोपनीय आख्या पर प्रविष्टि किये जाने के उपरान्त सक्षम अधिकारियों को प्रेषित करते हुए उसकी पृष्ठांकन प्रतिलिपि सम्बन्धित वृत्त, खण्ड तथा कार्मिकों को अवश्य प्रेषित की जाए। परन्तु इन आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। विभिन्न संघों द्वारा इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत कराया जाता है कि वार्षिक गोपनीय प्रपत्र किस स्तर तक प्रेषित की गयी है अथवा किस स्तर पर लम्बित है, का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिस कारण कार्मिक के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में विलम्ब होता है।

अतः पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि समस्त श्रेणी के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या सक्षम अधिकारियों को प्रेषित करते हुए पत्र की पृष्ठांकन प्रति सम्बन्धित वृत्त, खण्ड एवं कार्मिकों को अवश्य प्रेषित की जाय।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर- I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड/तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. समस्त वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, प्रान्तीय खण्ड परिसर, देहरादून/प्राविधिक संघ।
7. अध्यक्ष वृत्तीय कार्यालय संघ, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. महामंत्री, खण्डीय मिनिस्ट्रीरियल एसोसिएशन संघ, प्रान्तीय खण्ड परिसर, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

24-5-17